

मृत्यु लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र (प्रपत्र XXXVII)

प्रपत्र- XXXVII (संशोधित)

बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005
(देखें नियम 278 (2))

मृत्यु लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

पासपोर्ट
साईज फोटो

1. आवेदक/आवेदिका का नाम:-
2. पता:-
3. निबंधन संख्या एवं निबंधन की तिथि:-
4. निबंधन के समय उम्र एवं जन्म तिथि:-
5. मृत कामगार का कोटि (राजमिस्त्री, हेल्पर, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री आदि)
6. जाति:- सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति
7. मृत्यु के समय उम्र :-
8. सदस्यता की अवधि-
9. क्या मृत कामगार विवाहित थे:- हॉ/नहीं
10. अंतिम नवीकरण की तिथि:-
11. मृत्यु का प्रकृति (विस्तृत विवरण दें):-
12. जमा किये गये अभिलेखों की विवरण (जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, पंचनामा, प्राथमिकी पत्र इत्यादि):-
13. सहायता की राशि जिसके लिए आवेदन दिया गया है (स्वाभाविक मृत्यु के मामले में अनुदान राशि रू0 1,00,000/- दुर्घटना मृत्यु के मामले में रू0 4,00,000/- परन्तु यदि दुर्घटना मृत्यु आपदा के समय होती है एवं जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया गया है तो दुर्घटना मृत्यु में मात्र रू0 1,00,000/-)
14. क्या आवेदक मृत कामगार द्वारा नामांकित थे:-
15. अगर नामांकित नाबालिग हैं तो उनके अभिभावक का नाम एवं नामांकित नाबालिग व्यक्ति से संबंध:-
16. नामांकित नाबालिग व्यक्ति का उम्र एवं जन्म तिथि:-
17. क्या दूसरे नामांकित का सहमति पत्र संलग्न किया गया है
(जहाँ नामांकित की संख्या एक से अधिक हो):-
18. आधार कार्ड संख्या (छायाप्रति संलग्न करें)-
19. बैंक का विवरण-

बैंक का नाम एवं शाखा का नाम	खाता संख्या जो आधार संख्या से जुड़ा हुआ हो	IFSC कोड

(बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें)

उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सही है, साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया बैंक खाता को आधार संख्या से जोड़ लिया गया है।

स्थान-

दिनांक-

आवेदक/आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान